अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 मई. 2021

सं. 12/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 308(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पिठत धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, माह अप्रैल 2021 की कर अविध के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को उक्त कर अविध के उत्तरवर्ती माह के छब्बीसवें दिन तक बढाया जाता है।"

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर 2020, को सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 12/2021- Central Tax

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely:–

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the tax period April, 2021, shall be extended till the twenty-sixth day of the month succeeding the said tax period."

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020.